परिपत्र सं0. 33/2017-सीमाशुल्क

फा.सं0.450/131/2017-सीमाशुल्क-IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)
******

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त, 2017

सेवा में

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क/सीमाशुल्क (निवारक),
सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/जीएसटी
सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमाशुल्क / सीमाशुल्क (निवारक)
सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/जीएसटी.

महोदय/महोदया,

विषय:- आयातित वस्तुओं की 'हाई सी सेल्स पर एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) का उदग्रहण और उनके संग्रहण-बिंदु के संबंध में ।

आयातित वस्तुओं की उच्च सागर बिक्री पर एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) के उदग्रहण पर स्पष्टता के संबंध में बोर्ड में संदर्भ प्राप्त हुआ है ।

2. बोर्ड में इस मुद्दे की जांच की गई है । 'हाई सी सेल्स' एक सामान्य व्यापार प्रथा है जिसके द्वारा मूल आयातक माल को सीमाशुल्क निकासी हेतु दर्ज किए जाने से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को माल की बिक्री करता है । माल की हाई सी सेल के पश्चात्, सीमा शुल्क घोषणाएं अर्थात् प्रविष्टि-बिल आदि उस व्यक्ति द्वारा फाइल की जाती है, जो उस बिक्री के दौरान मूल आयातक से माल को खरीदता है । पूर्व में, सीबीईसी ने सीमाशुल्क मूल्यांकन में पिछले हाई सी सेल्स खरीदार द्वारा भुगतान किए गए निविदा मूल्य के हाई सी सेल्स विनियोजन संबंधी विभिन्न अनुदेश जारी किए हैं [परिपत्र सं0. 32/2004-सीमाशुल्क, दिनांक 11-5-2004 का संदर्भ लें]।

3. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सभी अंतरराज्यीय लेन-देन आईजीएसटी के अध्यधीन हैं । आयातित माल की हाई सी सेल्स अंतर राज्यीय लेनदेन के सदृश्य है । इस वजह से, यह बोर्ड को प्रस्तुत किया गया था कि क्या आयातित माल की हाई सी सेल्स को आईजीएसटी के लिए दो बार अर्थात् सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (7) के अंतर्गत सीमा शुल्क मंजूरी के समय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अंतर्गत अलग से भी लगाया जाएगा ।

4. जीएसटी परिषद ने आयातित माल के मामले में हाई सी सेल्स पर एकीकृत माल और सेवा कर के उदग्रहण पर विचार-विमर्श किया है । परिषद ने तय किया है कि आयातित माल अर्थात जब आयात उद्घो षणाओं को पहली बार सीमा शुल्क निकासी उद्देश्यों हेतु सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष फाइल किया जाता है, के हाई सी सेल्स (एस) लेनदेन पर आईजीएसटी, चाहे एक हो या अनके, को आयात के समय ही उदग्रहित अथवा संग्रहित किया जाएगा । इसके अलावा, प्रत्येक ऐसे हाई सी सेल में अर्जित मूल्य संवर्धन उस मूल्य का हिस्सा होगा जिस पर आईजीएसटी निकासी के समय एकत्र किया जाता है ।

5. जीएसटी परिषद के उक्त निर्णय की पहले से ही सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (12) के प्रावधानों में परिकल्पना की गई है, यद्यपि आयातित वस्तुओं के संबंध में,

सभी शुल्कों, करों, उपकरों आदि को आयात अर्थात् जब आयात उद्घोषणाओं को सीमाशुल्क निकासी उद्देश्यों हेतु सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष फाइल किया जाता है, के समय एकत्र किया जाएगा । आयातक (श्रृंखला में अंतिम खरीदार) को दस्तावेजों की सम्पूर्ण श्रृंखला प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा, जैसे माल के प्रथम संविदा मूल्य और अंतिम लेन-देन के बीच एक लिंक स्थापित किए जाने हेतु मूल मांगपत्र, हाई-सीज़-सेल्स-कान्ट्रेक्ट, सेवा प्रभार/भुगतान किया गया कमीशन आदि के ब्यौरे । घोषित मूल्य की सत्यता या सटीकता के विषय में शंका होने पर, विभाग उदघोषित लेनदेन मूल्य को अस्वीकार कर सकता है और सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों में यथा उपबंधित आयातित माल का मूल्य निर्धारण कर सकता है ।

6. क्षेत्रीय अधिकारियों से अनुरोध है कि आयातित माल के हाई सी सेल्स के मामलों को तद्नुसार तय किया जाए । इस परिपत्र के कार्यान्वयन में परेशानियां हो तो उन्हें बोर्ड के ध्यान में लाया जाए ।

भवदीय,

(जुबेर रियाज़)
निदेशक (सीमाशुल्क)